



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 209 राँची, सोमवार, 19 चैत्र, 1946 (श०)
8 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-672/2014 का.-20597 (HRMS)--श्री सुनील कुमार, नं०-2, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-728/03, गृह जिला-राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के पद पर कार्यवधि से संबंधित उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-185/जि०ग्रा०, दिनांक 25.01.2012 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन प्राक्कलन के अनुसार नहीं किये जाने, उचित अनुश्रवण नहीं करने, बिना कार्य संपादन के अग्रिम दिये जाने से अनभिज्ञ रहना तथा गुणवत्ता नहीं देखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं०-9200, दिनांक 19.10.2015 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-228, दिनांक 19.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी 05 आरोपों पर उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया ।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8940, दिनांक 18.10.2016 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत इनकी दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड इन पर अधिरोपित किया गया ।

4. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WP(S) No- 6687/2016 Sunil Kumar Vrs. State of Jharkhand and others दायर किया गया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2022 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं०-8940, दिनांक 18.10.2016 को निरस्त कर दिया गया ।

5. मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No- 38/2023 State of Jharkhand and others Vrs. Sunil Kumar दायर किया गया। मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2023 को पारित न्यायादेश में LPA No- 38/2023 को भी निरस्त कर दिया गया ।

अतः मा० न्यायालय द्वारा WP(S) No- 6687/2016 एवं LPA No- 38/2023 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-8940, दिनांक 18.10.2016 द्वारा श्री सुनील कुमार, नं०-2, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-728/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के अधिरोपित दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुनील कुमार नं०-2, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUNIL KUMAR NO. 2 BHR/BAS/3476	विभागीय संकल्प सं०-8940, दिनांक 18.10.2016 द्वारा श्री सुनील कुमार, नं०-2, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-728/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के अधिरोपित दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
